श्रम विभाग ने कोराना वायरस की स्थिति को देखते हुए श्रमिकों के हितों के लिए जारी किए दिशा-निर्देश'

District : dipr
Department :
VIP Person : General
Press Release
State News
Attached Document :
LK-23-03-2020-5.docx (http://103.203.138.54/news/195393/document/LK-23-03-2020-5.docx)

DESCRIPTION

श्रम विभाग ने कोराना वायरस की स्थिति को देखते हुए
श्रमिकों के हितों के लिए जारी किए दिशा-निर्देश'

जयपुर 23 मार्च । श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली ने बताया कि कोराना वायरस (कोविड-19) की स्थिति को देखते हुए जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से विभाग द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं।

श्रम राज्य मंत्री ने बताया कि लॉकडाउन अवधि(दिनांक-31.3.2020) तक समस्त दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान, कारखाने एवं वर्कशाप के बन्द रहते कार्यरत श्रमिकों को उनके नियोजकों द्वारा नौकरी से नही निकाला जायेगा और श्रमिक के वेतन से कोई भी कटौति नहीं की जायेगी ।
ऐसे निर्माण श्रमिक जो कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण आईसोलेशन में रखे गये हैं, उनकी मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा की जायेगी । इसके लिये प्रत्येक जिला श्रम कार्यालयों को 1.00 लाख रूपये तथा जयपुर सम्भाग को छोडकर अन्य प्रत्येक संभागीय कार्यालयों के लिये 2.00 लाख रूपये एवं जयपुर संभाग के लिये 5.00 लाख रूपये का फंड विशेष रूप से आवंटित किया गया है ।

श्रम मंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के आदेश के कारण अगर कोई नियोक्ता आपको नौकरी से निकाले या बिना वेतन और मजदूरी के छुट्टी देने का प्रस्ताव रखें या किसी भी प्रकार की वेतन कटौती करें, तो आप श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित लेबर लाइन पर इसकी सूचना तुरंत दें। जिसका नंबर '1800 1800 999' है। 'इसके अलावा आप इन मोबाइल न. पर भी सूचित कर सकते हैं। 73000 65959 व 97844 67278.'

श्री जूली ने बताया कि अगर कोई श्रमिक बस व सभी साधन बंद होने की वजह से शहरों में फंस गए हों और खाने आदि की समस्या हो तो भी आप उपरोक्त नम्बरों पर सूचित कर सकते हैं। इसके साथ ही श्रम विभाग के समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं संविदाकर्मियों ने अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिये जाने का निर्णय लिया है ।